Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय अति0 कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

गेहरीलाल बनाम **सरकार वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व अपील** नं0 **058** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2021	पत्रावली सिगहे से पेश हुई। अवलोकन किया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 002/2015 निर्णय दिनांक 24.10.2017 द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.02.2015 को अपास्त कर प्रकरण में संबंधित हल्का पटवारी से जिरह का अवसर प्रदान कर सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। पत्रावली न्यायालय हाजा को दिनांक 06.11.2017 को प्राप्त होकर बस्ता खामोश हो गई। रिकार्ड सार संभाल में प्राप्त हुई। अतः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण में हल्का पटवार से जिरह का अवसर प्रदान कर पूर्ण सुनवाई के बाद निर्णय पारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय भदेसर है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर को प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण में संबंधित हल्का पटवारी से जिरह का अवसर अपीलांट को प्रदान किया जाकर प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किये जाने का निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण तहसीलदार भदेसर को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त निर्देशों की पालना में रिमाण्ड किया जाता है। एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि अपीलांट को संबंधित हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर प्रदान करते हुऐ पूर्ण सुनवाई की जाकर प्रकरण में नव निर्णय आगामी तीन माह में पारित करना सुनिश्चित करावें। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन कराया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। अहकाम की प्रति तहसीलदार भदेसर को मय माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ की प्रति के प्रेषित की जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। – ह0 – (रतन कुमार) अतिरिक्त कलेक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ 28.05.2021 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official Signature Not Verified Digitally signed by Ratan Kumar Date: 2021.06.05 13:23:24 IST Reason: SelfAttested	